कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

क्रमांक / /पीपीयू/65/10/नग्रानि उज्जैन, दिनांक

प्रति

श्री दशरथ पिता सेवाराम पटेल
निवासी ग्राम गोयलाखुर्द
उज्जैन

विषय :– ग्राम घेडिया सर्वे क्रमांक 38/2 कुल रकबा 4.225 हेक्टर मे से 1.739 हेक्टर भूमि पर स्कूल (पाठशाला) के स्थल अनुमोदन बाबद

संदर्भ :– आपका आवेदन दिनांक 15.12.10

–0–

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि आापके आवेदन दिनांक 15.12.10 के साथ उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर एतद् द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 (5) (क) एवं नियम 27 के अधीन ग्राम घेडिया सर्वे क्रमांक 38/2 कुल रकबा 4.225 हेक्टर मे से 1.739 हेक्टर भूमि पर संलग्न मानचित्र में लाल रंग से किये गये संशोधनों के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शाला बाबत स्थल अनुमोदित कर विकास विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए दी जांती हैं :–

1 विषयांकित भूमि के सामने स्थित सावेर मार्ग की प्रस्तावित चौडाई उज्जैन विकास योजना में 60.0 मीटर है। अतः वर्तमान मार्ग मध्य से 30.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोडने के पश्चात संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार सीमान्त खुला क्षेत्र छोडना आवश्यक होगा। जिस पर किसी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा ।

2 प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सावेर रोड उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित 60.0 मीटर प्रस्तावित है । संलग्न मानचित्र मे दर्शाये मार्ग विस्तार के अन्तर्गत आनेवाली भूमि का कब्जा बिना मुआवजे के, उज्जैन विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/कलेक्टर कार्यालय अथवा मार्ग विकास की कियान्वयन संस्था को सौपना होगा।

3 भूतल पर स्वीकार्य अधिकतम निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत, तथा एफ.ए.आर. 1.0 तथा स्कूल भवन की अधिकत उँचाई जी+2 (10 मीटर) मान्य होगी ।

4 स्कूल परिसर में आने वाले वाहनों हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र को आरक्षित कर, विकसित करना होगा, किसी भी दशा मे वाहन पार्किंग मुख्य मार्ग पर स्वीकार्य नहीं होगी ।

5 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (संशोधन अधिनियम क्र0 22 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),उज्जैन से उनके नियमों /अधिनियमों के अंतर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6 म0प्र0 ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण) आदर्श उपविधियॉ 1999 के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा ग्राम पंचायत, लालपुर से प्राप्त करना होगी।

7 यह अनुज्ञा पत्र के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध रहेगी । समयावधि में विकास/निर्माण कार्य सम्पन्न न होने पर समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन निश्चित समयावधि के पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

8 संलग्न अभिन्यास को भू–स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावें ।

9 निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–

1 सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा, उज्जैन ।

2. नजूल अधिकारी उज्जैन

3 अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई अनुमति किसी विभाग से प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसे अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावें ।

10 किसी भी प्रकार के भू–स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तो का उल्लघंन होने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत की जा सकेगी।

संलग्न :–एक अनुमोदित मानचित्र

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन

पृष्ठा. क्र. 787/पीपीयू/65/10/नग्रानि उज्जैन दिनांक 30/3/2011

प्रतिलिपि :–

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन की ओर लेख है कि भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावें तथा इस अनुमति के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।

2 सरपंच, ग्राम पंचायत, घेडिया तहसील एवं जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4 जिला पंजीयक, जिला उज्जैन की ओर अग्रेषित कर लेख है कि वर्ष 2010–11 के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार विषयांकित भूमि का मूल्य रूपये 1,30,00,000/–प्रति वर्गमीटर की दर के मान से विकास अनुज्ञा शुल्क जमा कराया गया है। यदि दर इससे भिन्न हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

5 वेबसाईट प्रति

संलग्न :–एक अनुमोदित मानचित्र

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन